उत्तर प्रदेश शासन

लोक निर्माण अनुभाग-12

संख्याः 41/2021/यू0ओ0-05/23-12-2021-1486/13(आर) टीसी

लखनऊः दिनांकः 16 जून 2021

कार्यालय आदेश

भारत-नेपाल सीमा के सामानान्तर मार्ग निर्माण कार्य की योजना के कार्यान्यवन हेतु गृह मंत्रलाय, भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि को बैंक खाता में जमा करने के निमित्त इण्डो-नेपाल बार्डर निर्माण परियोजनान्तर्गत निम्नलिखित 07 खण्डों को परियोजना के कार्यों के लिए खाता खोलने की अनुमति विभिन्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:-

जनपदवार खण्डों का विवरण-

क्र.सं.	जनपद	खंडीय कार्यालय का नाम	बचत खाता का नाम
1	पीलीभीत	नि0खं0-2(इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, पीलीभीत	Indo-Nepal Border Road Project, A/c CD-2 PWD, Pilibhit
2	लखीमपुर खीरी	नि0खं0-4(इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, लखीमपुर खीरी	Indo-Nepal Border Road Project, A/c CD-4 PWD, Lakhimpur Kheri
3	बहराईच	नि0खं0-3(इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, बहराईच	Indo-Nepal Border Road Project, A/c CD-3 PWD, Bahraich
4	श्रावस्ती	नि0खं0-1(इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, श्रावस्ती	Indo-Nepal Border Road Project, A/c CD-1 PWD, Shravasti
5	बलरामपुर	नि0खं0-1(इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, बलरामपुर	Indo-Nepal Border Road Project, A/c CD-1 PWD, Balrampur
6	सिद्वार्थनगर	नि0खं0-2(इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, सिद्वार्थनगर	Indo-Nepal Border Road Project, A/c CD-2 PWD, Siddharthnagar
7	महराजगंज	नि0खं0-1(इ0ने0बा0), लो0नि0वि0, महराजगंज	Indo-Nepal Border Road Project, A/c CD-1 PWD, Maharajganj

2- उपरलिखित 07 जनपदों के खण्डों के परियोजना कार्य के लिये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में खाता खोले जाने अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जा सकती हैः-

(1) उक्त बैंक खाते बचत खाते होंगे।

(2) उक्त बैंक खातों का संचालन सम्बन्धित खण्डों के अधिशासी अभियन्ता एवं खंडीय लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

(3) बैंक खातों में केवल वही धनराशि रखी जायेगी, जिस प्रयोजन हेतु इसे खोला गया है। किसी अन्य कार्य हेतु इस खातें का प्रयोग किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। अन्यथा विभाग इसके लिये उत्तरदायी होगा।

(4) प्रश्नगत खाते योजनावधि तक चालू रखा जायेगा। योजनावधि के समाप्ति के पश्चात् नियमानुसार खाते को बंद कर दिया जायेगा।

(5) खातों के संचालन एवं रख-रखाव आदि में वित्तीय नियमों एवं आदेशों का समुचित अनुपालन किया जायेगा।

3- योजना के कार्यान्वयन हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त राशि को उक्त खाता में जमा किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार यथेष्ट धनराशि मुख्यालय द्वारा सम्बन्धित जिलों को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

तदनुसार राशि का व्यय उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की लेखा संहिता एवं उत्तर प्रदेश सरकार के नवीनतम प्रचलित वित्तीय नियमावली के आधार पर सम्बन्धित जनपदों के कार्यदायी संस्था द्वारा किया जायेगा।

4- सम्बन्धित जिलों के कार्यदायी संस्था को जो भी राशि डिपाजिट वर्क्स में दी जायेगी, उनका लेखा-जोखा संकलित करते हुए प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग द्वारा महालेखाकार कार्यालय, इलाहाबाद को भेजा जायेगा।

5- यह आदेश वित्त लेखा अनुभाग-1 के अशासकीय पत्र संख्या-1063115/दस, दिनांक 22-06-2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के आधार पर जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

संख्या-41/2021/यू0ओ0-05 (1)/23-12-21 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. अनुसचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र सं0-11012/5/2012-बीएम-V (Vol.-III) दिनांक 21-08-2020 एवं दिनांक 22-01-2021 के क्रम में।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5. प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, उ0प्र0 लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7. मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना, लो0नि0वि0, लखनऊ।
8. सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता/सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0 शासन।
10. वित्त (लेखा) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11. लोक निर्माण अनुभाग-10, उ0प्र0 शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in